


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(824)/2017/
दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 572 दिनांक 01.04.2013 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में श्रीमती विनोद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उप केन्द्र लादडिया, खण्ड चूरु (चूरु) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-


1. दिनांक 28.09.2014 से 04.11.2014 तक 38 दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 05.11.2014 से 14.12.2014 तक 40 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
3. दिनांक 15.12.2014 से 08.04.2015 तक 115 दिवस का असाधारण अवकाश।
4. दिनांक 31.10.2015 से 25.05.2016 तक 208 दिवस का असाधारण अवकाश।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(824)/2017/672

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (चूरु)।
- 2-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चूरु (चूरु)।
- 3-प्रधानाचार्य, राजस्थान नर्सिंग इंस्टीट्यूट, चूरु।
- 4-प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5-सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6-आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर